रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012023-243222 CG-DL-E-27012023-243222

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 383] No. 383] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 25, 2023/माघ 5, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 25, 2023/MAGHA 5, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2023

का.आ. 397(अ).—जब कि भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि असम राज्य में नार्थ-इस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना के गुवाहाटी-नुमालीगढ़ खंड के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मैसर्स इंद्रधन्ष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिस मे उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) कि धारा 3 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबदध है, उस तारिख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियों साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने की संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, असम राज्य, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा |

573 GI/2023 (1)

अनुसूची

जिला	: बिस्वानाथ	राज्य : असम					
				क्षेत्रफल			
सर्कल	मौज़ा	गाँव	दागनं	हेक्टेअर	आर	वर्गमीटर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
बिस्वानाथ	बाघमारा	2 नं धेमाजि बारी	159	00	26	83	
			464	01	16	97	
	सकोमाथा	बालदंगा	616	00	20	20	
			683	00	02	18	
		खेलमाटि	522	00	11	64	
	विहाली		521	00	41	83	
		बेंगाबार <u>ी</u>	620	00	28	09	

[फा. सं. एल -14014/251/2022- जी पी-II (ई-45398)]

एम. आर. नाज़मी अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2023

S.O. 397(E).—Whereas it appears to the Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Guwahati–Numaligarh–GNPL Section of North-East Natural Gas Pipeline Grid Project in the State of Assam, a pipeline should be laid by M/s Indradhanush Gas Grid Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, M/s Indradhanush Gas Grid Limited, State of Assam.

SCHEDULE

District :Biswanath				State: Assam		
Circle	Mouza	Name of Village	Dag No.	Area		
				Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Biswanath	Baghmara	2 No. Dhemajibari	159	00	26	83
	Sakomatha	Bal Danga	464	01	16	97
			616	00	20	20
			683	00	02	18
	Bihali	Khelmati	522	00	11	64
			521	00	41	83
		Bengabari	620	00	28	09

[F. No. L-14014/251/2022-GP-II. (E-45398)]

M.R. NAZMI Under Secy.